## Order sheet [Contd]

Case No: ba-119/17

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

## <u>06-04-</u> 2017

03:00 To 03:15 आवेदक / अभियुक्त वीरेन्द्र शिवहरे द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित। थाना मौ से अपराध कमांक 34/2017 अंतर्गत धारा—14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त के प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0स0 के साथ आवेदक की मां अवध कुंअर का शपथपत्र पेश किया गया है, आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया गया है, कि यह आवेदक वीरेन्द्र शिवहरे का प्रथम जमानत आवेदन है, इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है, न प्रस्तुत किया गया है और न ही निराकृत किया गया है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से व्यक्त किया गया है, कि उसके विरूद्ध पुलिस थाना मौ द्वारा विरोधियों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अंतर्गत धारा—14 राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है तथा कथित अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है, उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। आवेदक करीब डेढ माह से न्यायिक अभिरक्षा में होकर उपजेल गोहद में बंदी है, यदि आवेदक को और अधिक दिनों तक न्यायिक निरोध में रखा गया तो आवेदक के परिवार के सदस्यों की भूखों मरने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आवेदक ने उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से मौखिक रूप से विरोध किया गया और आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने पर स्पष्ट है, कि अभियोजन के अनुसार जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के आदेश कमांक डी.एम./भिण्ड/रीडर/63/16 दिनांक 10/10/2016 के द्व रा आवेदक/अभियुक्त वीरेन्द्र शिवहरे पुत्र टुण्डेराम शिवहरे के संबंध में एक वर्ष की अविध के लिए जिला भिण्ड तथा निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना एवं दितया की सीमा से बाहर चले जाने एवं बिना पूर्व स्वीकृति के जिले की सीमा में प्रवेश न करने का आदेश किया था। परंतु उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए दिनांक 15/02/17 को दोपहर 02:20 बजे के लगभग आवेदक वीरेन्द्र शिवहरे रत्वा रोड करबा मो में पाया गया, जिसे पुलिस मो के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से आवेदक ने जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड के उक्त आदेश दिनांक 10/10/2016 का उल्लंघन किया तथा बिना पूर्व

स्वीकृति के जिले में प्रवेश किया। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक / अभियुक्त के विरुद्ध 07 प्रकरण पंजीबद्ध है। आवेदक की ओर से यह भी आधार लिया गया है, कि आवेदक को बाहर से गिरफ्तार कर के लाया गया है, पंरतु गिरफ्तारी पंचनामा से प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रकट नहीं होता है, कि आवेदक को बाहर से पकड़ कर लाया गया हो।

मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं आवेदक / अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरणों को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक / अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। जमानत प्रपत्र नतीजा दर्ज करने के बाद अभिलेखागार में भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड